कार्यालय में दिनांक 25/6/15
की पत्रावली वाले 9/6/250
दिनांक 19/4/18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

19.4/18

बकुलाय केरीकेन उप०/P.O.
साहब P.O. [illegible]
पत्रावली दिनांक 1/5/18
को पेश हो।

1/5/18 पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में पेश हुई।
पक्षकारान् वकील पश्चात उपस्थित
....
नहीं होने के कारण प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका। अत
पत्रावली दिनांक 3/5/18 को न्यायालय हाजा में पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

3/5/18 पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। बकुलाय उर्फ बकुलाय को सुना गया। दिनांक 25/6/15 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को तकमीला दाखिल स्थाई करने चाहते हैं। अतः प्रार्थना स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 25.6.15 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को तकमीला दाखिल स्थाई किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संभालने करें। शुभम

SDOC.